

RAJYA SABHA

Wednesday, the 23rd May, 1990/the
2nd Jyaishta, 1912 (Saka)

The House met at eleven of the
clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Funds received by voluntary organisations in Faizabad, U.P. from abroad

*301. KUMARIALIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the details of the voluntary organisations in Faizabad, Uttar Pradesh which are receiving funds from abroad;

(b) the names of the countries from which such funds are being received :

(c) the details of the funds received by each of those organisations during the last three years; year-wise; and

(d) the details of purpose/objects for which these funds were utilized ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED) : (a) to (d) There are eight organisations in Faizabad District registered under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 of which five have reported receipt of foreign contribution in the last three years. The details are available in the Annexure. [See Appendix CLIV, Annexure No. 71]

कुमारी आलिया : माननीय चैंयरमैन साहब, माननीय मंत्रीजी के उत्तर से यह बात साफ है कि फैजाबाद जिले में किसी भी मुस्लिम संस्था को विदेश से कोई भी पैसा नहीं मिला है जबकि फिरकापरस्त लोग लगातार यह प्रचार करते आ रहे हैं कि मुसलमानों को अरब

देशों से सहायता मिल रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि जो व्योरा उन्होंने अपने उत्तर में दिया है, क्या उसके अलावा उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला है जिसमें अन्-ग्राफिसियल तरीके से किसी भी मुस्लिम व्यक्ति या संस्था को कोई भी विदेशी मदद मिली है ?

श्री सुबोधकान्त सहाय : महोदय, जैसाकि मैंने कहा 8 संगठन हैं जिनको कि यह परमिशन दी गयी है और उन 8 में से 5 ने पैसा लिया है, तीन ने परमिशन के बाद भी पैसा नहीं लिया है और इस तरह के कोई दूसरे संगठन के बारे में जानकारी नहीं है।

कुमारी आलिया : मैं मंत्रीजी से दूसरी जानकारी यह चाहती हूँ कि आपके मंत्रालय द्वारा किन आधारों पर विदेशों से पैसा लेने की अनुमति दी जाती है ?

श्री सुबोधकान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, जो फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उस में खासकर कल्चरल, एकेडेमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम और देश के संबैधानिक ढांचे के तहत जो लोग काम करते हैं, उन को परमिशन दी जाती है। बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए, हॉस्पिटल के लिए दी जाती है। यह क्रायटेरिया जो फुलफिल करते हैं उन को यह परमिशन दी जाती है।

DR. YELAMANCHILI SIVA-II : Sir, I would like to know from the hon. Minister whether there is any scrutiny by the Government of India to find out how the funds are utilised, whether there is any misuse of the funds and whether the funds are being utilised for any other purpose?

श्री सुबोधकान्त सहाय : महोदय, जहां तक यूटीलायजेशन का सवाल है, जो लोग कंट्रीब्यूशन लेते हैं, वे उसका रिटर्न साल में दो बार अर्थात् हर एक महिने के बाद देते हैं। उस रिटर्न को एनालाइज

किया जाता है । अगर सरकार उससे पूरी तरह संतोष व्यक्त करती है तो उन को फर्दर कंट्रीब्यूशन के लिए परमीशन दी जाती है और अगर उस क्रायटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो उनको रोका जाता है । यही इस का तरीका है ।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Sir, this really raises a very important question which is not so much the legal or the financial aspect of the matter. Sir, the funds come from abroad and are used for religious purposes whether it is in Uttar Pradesh or more so in Kashmir. What steps is the Government are taking to check that these funds do not result in proliferation of institutions which cause disaffection among two communities ?

श्री सुबोधकान्त सहाय : सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि जिन्हें परमीशन दी जाती है, वे सरकार की जो गाइडलाइन्स हैं, उनको फालो करते हैं या नहीं, इसकी जांच करने की प्राथमिकता सरकार को रहती है । वे जो रिटर्न देते हैं कि उन्होंने उस पैसे का उपयोग कहाँ किया है, उसका एनालायसिस सरकार करती है और अगर वह सेटिसफेक्टरी रहता है तो उनको आगे मौका सरकार देती है, नहीं तो उनकी परमीशन टर्न-डाऊन करती है, कैंसिल करती है ।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : The simple thing is that in Kashmir young girls are asked to observe 'purdah' in schools. What steps are you taking against such things ?

श्री सभापति : यह क्वेश्चन तो फैजाबाद का है ।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : He is not answering...

SHRI SUBODH KANT SAHAY : The question is very much concerned with Faizabad.

SHRI T. R. BALU : Mr. Chairman, Sir, I want to know from the hon. Minister whether any political parties are receiving any foreign funds under the guise of cultural or religious organisations. I further want to know whether the Government has received any complaints about it and if so what action has been taken?

श्री सुबोधकान्त सहाय : जो बाहर हैं, जो नहीं ले सकती हैं, उसमें पोलिटिकल पार्टीज हैं और पोलिटिकल पार्टीज कोई फॉरेन-डोनेशन रिसीव कर रही है, इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है ।

SHRI T. R. BALU : What are the political parties that have been getting ?

MR. CHAIRMAN : All political parties.

SHRI S. B. CHAVAN : Sir, may I seek one clarification from the hon. Minister ? Sir, the Government merely scrutinises the returns which have been filed by different parties who receive contributions from foreign countries. I don't think that any mis-utilisation of the funds can be a part of the return. And that is why it becomes absolutely necessary to find out as to what is the mechanism that the Government has created to find out whether the funds are being used for the same purpose which, in fact, is the objective for which they have filed with the Government.

श्री सुबोधकान्त सहाय : सर, अगर इस तरह की कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो सरकार उसकी किसी भी बक्त जांच करती है । एग्जाम्पल के तौर पर जो उनकी रिटर्न आती है, उनकी जांच करती है और अगर जांच में सेटिसफेक्टरी उत्तर नहीं मिलता है तो उन पर सरकार एक्शन लेती है ।

SHRI S. B. CHAVAN : Sir he has not replied to my question. In fact, I have asked the hon. Minister to clarify as to what is the mecha-

nism that he has at his disposal Or is it merely on the return and the complaints to be filed by someone else that thereafter you go and scrutinise the whole thing ? The Government as such do not have any kind of mechanism by which they will be able to find out as to whether the moneys are being properly utilised or they are being misutilised even for political purposes.

श्री सुबोध कान्त सहाय : सभापति महोदय, इसके लिए हम लोगों के पास कुछ क्राइटेरिया हैं, जिनमें एक तो सरकार के स्पेसिफिक एकाउण्ट में पैसा जमा होता है और वहां से रेगुलेट होता है। दूसरा, साल में दो बार रिटर्न का जैसा मैंने बताया, उसका आडिट किया जाता है। तीसरा, कभी-कभी सदनलों इंस्पेक्शन करते हैं। इसी तरीके से सेलेक्टेड एनालायसेस किये जाते हैं। ये चार-पांच क्राइटेरिया हैं, हमारे जांच करने के तरीके हैं।

श्री सभापति : यानी आप टाइम-टाइम पर जांच करते रहते हैं।

श्री सुबोध कान्त सहाय : जी हां, सर। होम-मिनिस्ट्री से इसकी जांच होती है स्टाफ के द्वारा।

श्री एस०बी० चव्हाण : अगर शिकायत आए तब।

एक माननीय सदस्य : मोनेटरिंग नहीं है, सर।

श्री सभापति : अब वे कंटीन्यू मोनेटरिंग नहीं करते, लेकिन जांच होती है।

श्री अनन्तराय देवशंकर बबे : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो देश के बोर्डर पर स्थित जिले हैं, वहां कई संस्थाओं को बाहर से पैसा मिल रहा है, तो ऐसे कितने जिले हैं और कितने ऐसे बाहर से आ रहे हैं ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : यह तो स्पेसिफिक जिले के बारे में इन्होंने पूछा है, उसके बारे में अगर कहें तो मैं ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : तो आपके फैजाबाद के जिले के बोर्डर पर नहीं है न।

श्री सुबोध कान्त सहाय : फैजाबाद बोर्डर पर नहीं है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि फैजाबाद जिले के अंदर अयोध्या एक विवाद बना हुआ है और वहां बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए फंड कलेक्शन करने के लिए उनका दफ्तर दिल्ली में है और राम जन्म भूमि मंदिर बनाने के लिए विश्व हिन्दू परिषद् ने, जिसका कि दफ्तर फैजाबाद में नहीं बाहर है, दोनों तरफ से पैसा और विदेशी धन इकट्ठा किया जा रहा है एक तरफ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए और दूसरी तरफ राम जन्म भूमि मंदिर बनाने के लिए। उसके बारे में आपने आज तक कोई जानकारी हासिल की है या नहीं की है ? अगर की है तो सदन को बताने की कृपा करें।

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि जो मार्ग लाइन है जिस आधार पर फॉरेन में नी दिया जा सकता है, उस गाइडलाइन यह नहीं आते हैं, इसलिए इनका कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री सभापति : आपकी इजाजत के बिना जो रुपया आता है, उस पर कोई नज़र रखते हैं आप ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : बिना इजाजत के एक तो होता है कि रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कुछ लोग प्रायर परमिशन लेते हैं कंटीन्यूशन लेने के लिए। इन दोनों का न रजिस्ट्रेशन किया गया है और न इन्होंने प्रायर परमिशन लिया है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : इसका मतलब यह है कि क्या फॉरेन रेगुलेशन एक्ट भंग करके भी लोग विदेशों से रुपया लाते हैं ? आप मानते हैं इसे ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : अगर इस तरह की कोई जानकारी होगी तो सरकार उस पर कार्यवाही करेगी ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : विश्व हिन्दू परिषद् ने विदेशों में बहुत सा धन जुटाया है ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : क्वेश्चन नम्बर 302

डा. रत्नाकर पाण्डेय : उसकी कोई जानकारी है या नहीं ? मैं सभापति महोदय के माध्यम से जानना चाहता हूँ और इन्कम टैक्स का एक केस उस पर हुआ था जिसको सरकार के वित्त मंत्री ने कहा था कि मैंने ... (व्यवधान)

श्री सभापति : क्वेश्चन नम्बर 302

डा. रत्नाकर पाण्डेय : अधिकारियों से कहा है कि उसको विदड़ा कर लें, जबकि हम लोगों ने कहा था कि नियम और कानून के अनुसार कर्मचारी काम करेंगे । ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : क्वेश्चन नम्बर 302

डा. रत्नाकर पाण्डेय : उस संदर्भ में क्या कहा है आपको ?

Road accidents in India

*302. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI ATAL BIHARI
VAJPAYEE :

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) what is India's place in the order of world countries; in respect of road accidents per 1000 power driven vehicles ; and what is the average for the 10 countries which have the highest number of road accidents ;

(b) what is the outcome of the steps taken so far to bring down the rate of road accidents in India; and

(c) the action - plan in this regard and the target fixed for the current year ?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K. P. UNNIKRISHNAN) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) On the basis of figures in the World Road Statistics, 1987, brought out by International Road Federation, Washington, the rate of road accidents for the 10 countries having the highest number of road accidents per 1000 vehicles, during 1986 which is the latest year for which figures are available is as follows :

Statement

S. No.	Countries	Accident per '000 vehicles
1	MAURITIUS	73.75
2	HONGKONG	48.15
3	KUWAIT	36.19
4	INDIA	19.70
5	TUNISIA	17.33
6	SOUTH AFRICA	14.88
7	CYPRUS	13.09
8	AUSTRIA	11.97
9	YEMEN ARAB REPUBLIC	11.94
10	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	9.96

The above figures place India in the 4th position.